भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-568

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

बिहार में विद्युत की कमी

568. श्रीमती मीशा भारतीः

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इस योजना पर कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है;

(ग) क्या सरकार एनटीपीसी, बराह से अधिक बिजली राज्य सरकार को देने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों और पारेषण प्रणालियों की स्थापना के द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। वर्तमान में बिहार को केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से 2718 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया गया है। बिहार को मूल रूप से बाढ़ सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन (बीएसटीपीएस) से 1183 मेगावाट के सुनिश्चित हिस्से का आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार के अनुरोध पर, पश्चिम बंगाल के वापस किए गए हिस्से से बीएसटीपीएस से 701 मेगावाट का अवंटन बिहार को किया गया था। तथापि, बिहार ने दिनांक 19.10.2016 के पत्र के माध्यम से बाढ़ से आवंटित विद्युत के 30% डिएलोकेट करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, पावर एक्सचेंज में मौजूद विद्युत सहित बाजार में विद्युत उपलब्ध है और बिहार की यूटिलिटियां विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इनकी खरीद कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, बिहार में वितरण प्रणाली के सुधार के लिए, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 5,856.36 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 2,111 करोड़ रुपये तक की राशि वाली परियोजनाओं को एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) स्कीम के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई है। इससे बिहार के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति में सुधार होगा।

****